राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 222/2024

जुगनू खींची **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोरडन्याल, धौलपुर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक गोविन्दगढ़, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.02.2024
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यकता प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में साक्षात्कार के माध्यम से व्याख्याता समकक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिए पदस्थापन स्थान के रूप में गोविन्दगढ, अलवर आवंटित किया गया। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 09.10.2023 के परिपालन में बच्चों के हित में आदेश दिनांक 09.10.2023 को क्रियान्वित कर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2023 (अनुलग्नक–2) प्रस्तुत किया क्योंकि ऐसा न होने से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अपीलार्थी वर्ष 2021 से व्याख्याता (इतिहास) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोरडन्याल, धौलपुर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग ने समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए दिनांक 13.07.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके द्वारा उन्होंने चयन के लिए साक्षात्कार निर्धारित किया था और साक्षात्कार की तिथि 01.08.2023 से 07.08.2023 तय की गई थी। उपरोक्त विज्ञापन के अनुपालन में अपीलार्थी पात्र

होने से उसने प्रथम वरीयता में गोविन्दगढ़, अलवर के रूप में अपनी प्राथमिकता ब्लॉक भरकर संदर्भ व्यक्ति (व्याख्याता और समकक्ष) के पद के लिए आवेदन किया (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया में उपस्थित हुआ और साक्षात्कार में अच्छे अंक हासिल करने के बाद, उसका चयन किया गया और उसे आदेश दिनांक 09.10.2023 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान के रूप में सीबीईओ कार्यालय गोविन्दगढ, अलवर आवंटित किया गया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राय कर्मचारी संघ ने संदर्भ व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया में बिना किसी देरी के प्रतिस्पर्धा करने के संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को दिनांक 26.12.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा एक अभ्यावेदन भेजा, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपीलार्थी के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। विज्ञापन के अनुसार, बिंदु संख्या 10 उस कार्यकाल के बारे में बताता है जिसके द्वारा कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और इसे 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.10.2023 की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोरडन्याल, धौलपुर में प्रतिनियुक्ति पदस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण की जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट कि या जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य